अंचल अधिकारी .... का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या– 377/17.16-17

वाद का प्रकार– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0म0निति–119/85/2308/रा0, दिनांक–03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा–.....रारगो....., थाना– .....36....., खाता संख्या–.....22....., प्लॉट संख्या– .....104....., रकबा–.....3651....., एकड़ की भूमि जो गैरमरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या–.....01.....,के पृष्ठ संख्या–.....95....., पर जमाबंदी रैयत .....जुमा मांझी..... के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी विना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोवस्तो के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक–.....19-7-16..... को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

E:\Sec 5 New\Awaidh Jamabandi.docx

मुखर्जी, निदेशक ... सरकार के ... 4(h) के तहत जांच
एवं सह-पठित ... का पत्र/संख्या
निदेश के ...

19.7.16 अभिलेख उपस्थापित नोटिस का प्राप्त पक्षकार उपस्थित। उपरोक्त भूमि के संबंध में उनके द्वारा साक्ष्य के रूप में लगान रसीद दिखाया गया परन्तु छाया प्रति नहीं प्रस्तुत किया गया है।

अभिलेख दिनांक 26.7.16 को रखें।

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

26.7.16 - अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त। पक्षकार उपस्थित। उपरोक्त भूमि के रिकार्ड में पक्षकार द्वारा भूमि बन्दोबस्ती कागजात का छायाप्रति, भूमि उत्थापन का छायाप्रति, लगान रसीद का छायाप्रति जमा किया गया है।

अभिलेख आदेशार्थ रखें।

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर